UPSI010053902017

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–12, सीतापुर।

पीठासीन अधिकारी– Abhishek Upadhyaya, **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP**01641

old R. C. Appeal/100001/2017

मोहम्मद यूसुफ **बनाम** **रियासत अली।**

दिनांक– 11.05.2022

पत्रावली पेश हुयी। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थनापत्र 124 क के लिये नियत है। पूर्व में प्रार्थनापत्र 124 क पर सविस्तार सुना जा चुका है।

निस्तारण प्रार्थनापत्र 124 क–

प्रार्थनापत्र 124 क प्रार्थी/अपीलकर्ता मो० यूसुफ द्वारा प्रार्थनापत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि रेन्ट कंट्रोल वाद सं०–3/2009 के लम्बन काल में अपीलकर्ता के सम्यक तत्परता करने के बावजूद भी अपीलकर्ता को यह ज्ञात नहीं हो सका था कि उ०प्र० राज्य की ओर से जिलाधिकारी महोदय सीतापुर/कलेक्टर महोदय सीतापुर द्वारा अथवा नगर पालिक परिषद खैराबाद द्वारा लतीफ के पक्ष में कोई भी लिखित पट्टा वास्तव में निष्पादित नहीं किया गया था। अपीलकर्ता को यह भी ज्ञात नहीं हो सका था कि जिलाधिकारी महोदय सीतापुर की जिस चिट्ठी का उल्लेख करके नजूल भूमि की नीलामी लतीफ के पक्ष में करने की जो कार्यवाही होना लतीफ व रियासत द्वारा कथित की गयी थी उसप्रकार की चिट्ठी/पत्र वास्तव में कलेक्टर महोदय सीतापुर/जिलाधिकारी महोदय सीतापुर के द्वारा कभी भी जारी नहीं किया गया था। प्रस्तुत अपील के लम्बनकाल में अपीलकर्ता को नगर पालिका परिषद व कलेक्टर महोदय सीतापुर के कार्यालय से कुछ सूचनायें प्राप्त हुयी जिनसे यह तथ्य अपीलकर्ता को स्पष्ट हुआ कि उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से जिलाधिकारी महोदय/कलेक्टर महोदय सीतापुर ने अथवा नगर पालिका परिषद खैराबाद ने लतीफ के पक्ष में , नजूल भूखण्ड सं०– 3301 का कोई भी लिखित पट्टा निष्पादित नहीं किया और यह भी तथ्य अपीलकर्ता को दौरान अपील कलेक्टर महोदय सीतापुर व नगर पालिका खैराबाद के कार्यालय से स्पष्ट हुआ। उपरोक्त दस्तावेज/कागजात अपीलकर्ता की सम्यक तत्परता के प्रयास के बावजूद रेन्ट कंट्रोल वाद सं०– 03/2009 के विचारण के समय अवर न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत नहीं कर सका था तथा न्यायालय से अनुरोध किया कि प्रार्थनापत्र के साथ प्रपत्रों को बतौर अतिरिक्त साक्ष्य ग्रहण करने की कृपा की जाये।

प्रार्थनापत्र 124 क के समर्थन में शपथपत्र 125 ग प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थनापत्र 124 क पर विपक्षी द्वारा अपनी आपत्ति 130 ग प्रस्तुत कर यह अभिकथित किया गया कि उत्तरदाता वादी द्वारा दिनिांक 06.07.2019 को रे०क० वाद सं०– 03/2019 अंतर्गत धारा– 21(ए) यू०पी० अर्बन बिल्डिंग एक्ट 13 सन् 72 के तहत वादीय दुकान को खाली करके उसका कब्जा उत्तरदाता वादी को देने हेतु तथा अन्य याचना के साथ अपीलार्थी प्रतिवादी के विरूद्ध रियासत अली बनाम मो०युसुफ योजित किया था। इसके अतिरिक्त पूर्व मालिक हाजी लतीफ द्वारा उत्तरदाता वादी के पक्ष में दुकान विक्रय किया जाना क्रय किया जाना धारा– 12 लिखित उत्तर में अभिकथित किया तथा इसके अतिरिक्त

अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा मोहम्मद युसुफ बनाम हाजी अब्दुल लतीफ व रियासत अली के नाम से अंतर्गत धारा– 30 रेन्ट कं० अधिनियम के तहत मुत० वाद 88/2004 न्यायालय श्रीमान सिविज जज जू०डि० महोदय के न्यायालय में दिनांक 03.09.2004 को किराया अदा करने हेतु योजित किया जो 01.02.2008 को स्वीकार हुआ जिसके तहत अपीलार्थी प्रतिवादी ने उत्तरदाता वादी को दुकान का लैण्डलार्ड/मालिक स्वयं का किरायेदार होना स्वीकार है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा दी०वाद 77 सन् 2004 मो० युसुफ बनाम हाजी अब्दुल लतीफ व रियासत अली के विरूद्ध वादीय दुकान में अपने आप को 90/–रूपये माहवार से वादीय दुकान का किरायेदार कहते हुये तथा उत्तरदाता प्रतिवादी को दुकान क्रय कर लेने पर उसे जबरदस्ती दुकान से बेदखल करने से निषेधित करने हेतु हुकुम तनाई का दावा योजित किया जो न्यायालय श्रीमान चतुर्थ अपर सिविल जज जू०डि० द्वारा दिनांक 27.07.2013 को निर्णीत किया। उक्त वाद में भी उत्तरदाता वादी द्वारा पूर्व स्वामी हाजी अब्दुल लतीफ से बैनामा दिनांक 20.05.2004 के जरिये क्रय करना व उसका स्वामी होना व दुकान मालिक व किरायेदारी के सम्बन्ध स्थापित होना निर्णीत किया गया था। उपरोक्त निर्णय दिनांकित 22.07.2013 के विरूद्ध अपील 70/2013 मो० युसुफ द्वारा योजित हुयी जो दिनांक 07.08.2015 को निरस्त हो गयी जिसके विरूद्ध अपीलार्थी प्रतिवादी द्वारा द्वितीय अपील 199/2015 मो० युसुफ बनाम हाजी अब्दुल व रियासत अली आदि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ योजित की जो कि दिनांक 05.10.2015 को निर्णीत हुयी। उक्त सभी प्रपत्र उत्तरदाता प्रतिवादी द्वारा निम्न न्यायालय मूल वाद सं०– 03 सन् प्रपत्र उत्तरदाता प्रतिवादी द्वारा निम्न न्यायालय मूल वाद सं०– 3 सन् 2009 में क्रमशः 32 ग, 153 ग, 154 ग व 155 ग दाखिल किये गये थे शामिल पत्रावली है जिससे पूर्णतया अपीलार्थी एवं उत्तरदाता के मध्य लैण्डलार्ड व किरायेदारी के सम्बन्ध है व स्थापित हो चुका है व मान्य है जिसे उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा भी अपने आदेश 05.10.2015 के तहत माना जा चुका है। अपीलार्थी उपरोक्त पूर्व निर्णीत आदेशों एवं स्वीकारिता के विरूद्ध कथित अभिलेख प्रार्थना पत्र जो अतिविलम्ब से दाखिल करना चाहता है जो कतई अपील के निर्णय के लिये न तो आवश्यक है न ही सहायक है तथा आदेश 41 नियम 27 जा०दी० की परिधि में न आने के कारण दाखिल नहीं किये जा सकते हैं। विवादित दुकान के सम्बन्ध में उसकी मिलकियत के बावत पट्टे समाप्त हो जाने के बावत अपीलार्थी प्रतिवादी द्वारा अवर न्यायालय में 112 क संशोधन प्रार्थनापत्र भी दिया था जो दिनांक 21.02.2014 को निरस्त कर दिया गया तथा इसके अतिरिक्त पुनः अवर न्यायालय में इन्हीं तथ्यों के बावत 134 क का प्रार्थना पत्र संशोधन के जरिये अवर न्यायालय में दिया जो भी दिनांक 11.03.2016 को निरस्त कर दिया गया। जिसके विरूद्ध निगरानी योजित की जो भी दिनांक 02.05.2016 को श्रीमान स्पेशल जज सीतापुर द्वारा निरस्त कर दी गयी। अपीलार्थी द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41नियम 27 जा०दी० पूर्ण रूप से बाधित है तथा कतई स्वीकार होने योग्य नहीं है। अपीलार्थी द्वारा बावजूद जानकारी वाद योजित होने के 13 वर्ष बाद अति विलम्ब से रेन्ट कंट्रोल अपील में अनावश्यक प्रपत्र दाखिल करने हेतु निराधार प्रार्थना पत्र असत्य व गलत तथ्यों के आधार पर बदनियती से दिया है जो अपील के निस्तारण हेतु कतई आवश्यक नहीं तथा आदेश 41 नियत 27 जा०दी० के परिधि के परे है तथा प्रत्येक दशा में निरस्त होने योग्य है। उपरोक्त कारणों से अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र विशेष हर्जे सहित निरस्त होने योग्य है।

प्रार्थनापत्र शपथपत्र 131ग से समर्थित है।

विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के जवाब में अपीलकर्ता द्वारा अपना प्रति उत्तर कागज सं०– 135ग प्रस्तुत किया गया है जिसमें यह अभिकथित किया गया है कि रियासत अली द्वारा प्रस्तुत की गई आपत्ति दिनांक 02.03.2022 के प्रस्तर 1 के कथन तार्किक है और जनरल रूल सिविल के नियम 28 के

अनुसार न्यायालय द्वारा ग्रहण किये जाने योग्य नहीं है। आपत्तिकर्ता रियासत अली की आपत्ति दिनांक 02.03.2022 नियम 28 के अनुसार पत्रावली से प्रथक करके, रियासत अली को माननीय न्यायालय द्वारा वापस की जानी चाहिए। जो अभिलेख अपीलकर्ता आदेश 41 नियम 27 के अन्तर्गत न्यायालय की अनुमति लेकर, न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता है, वे अभिलेख, अपीलकर्ता के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 कागज सं० 32 क में वर्णित तथ्यों को तथा अपीलकर्ता की नेकनियती को माननीय अपील न्यायालय के सम्मुख प्रमाणित करने के लिए आवश्यक हैं और यह अभिलेख अपीलकर्ता के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 के निर्णय हेतु माननीय न्यायालय के लिए बहुत अधिक सहायक होगे और इन अभिलेखों से यह भी स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है कि अब्दुल लतीफ और नगर पालिका खैराबाद के कर्मचारियों ने एक–दूसरे आपराधिक षडयन्त्र करके व जालसाजी करके नगर पालिका खैराबाद द्वारा अब्दुल लतीफ के पक्ष में 30 वर्ष का आवासीय पट्टा किये जाने की झूठी व जाली प्रविष्टियां अभिलेखों में की गई थी और इन अभिलेखों से यह भी स्पष्ट हो जायेगा कि अवर न्यायालय की पत्रावली का कागज सं० 36 ग सूचना के अधिकार के अन्तर्गत पूछे गये प्रश्न के उत्तर में अपीलकर्ता को नगर खैराबाद द्वारा उपलब्ध कराया गया था। वह पूर्णरूप से झूठा था और वास्तविक तथ्य यह है कि नगर पालिका खैराबाद अथवा उ०प्र०राज्य द्वारा अब्दुल लतीफ के पक्ष में प्रस्तुत वाद की सम्पत्ति की नजूल भूमि व उसके आस–पड़ोस की नजूल भूमि का पट्टा किसी भी तिथि को किसी भी अवधि का निष्पादित ही नहीं किया गया था और झूठे व जाली तथ्यों को, समावेशित करके नगर पालिका खैराबाद द्वारा असत्य तथ्यों की सूचनाएँ पूर्व मे अपीलकर्ता को दी गई थी। रियासत अली की आपत्ति के प्रस्तर 2 के कथन जिस प्रकार लिखे हैं, वे गलत है । वास्तव में, नगर पालिका खैराबाद द्वारा किसी भी तिथि को अब्दुल लतीफ के पक्ष में विवादित दूकान की भूमि तथा उसके आस–पडोस की भूमि का कोई भी पट्टा कभी भी निष्पादित नहीं किया गया और उ०प्र०राज्य द्वारा अथवा आयुक्त लखनऊ मण्डल लखनऊ द्वारा अथवा कलेक्टर महोदय सीतापुर द्वारा उ०प्र०राज्य की ओर से तथाकथित नजूल भूमि की नीलामी अब्दुल लतीफ के पक्ष में किये जाने अथवा नीलामी की स्वीकृति किये जाने का कोई आदेश, किसी भी तिथि को पारित नहीं किया गया और अब्दुल लतीफ ने नगर पालिका खैराबाद के कर्मचारियों के साथ साज करके कोलार्ड करके आपराधिक षड़न्त्र करके जालसाजी की और अभिलेखों में जाली प्रविष्टियाँ करायीं । जहाँ तक अपीलकर्ता / प्रत्युत्तर प्रस्तुतकर्ता को ज्ञात हुआ है, अवर न्यायालय की पत्रावली का कागज सं0 40 ग नगर पालिका खैराबाद का उत्तर नहीं है और इस सम्बन्ध मे उत्तरदाता ने झूठी आपत्ति व झूठा शपथपत्र न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया है। उत्तरदाता का यह भी कथन गलत है कि अपीलकर्ता, विलम्ब करने की नियत से पत्र दिनांक 01.11.2017 व 06.10.2017 प्रस्तुत करना चाहता है। वास्तव में, यह दोनों ही पत्र अपने संशोधन प्रार्थना पत्र की नेकनियती को स्पष्ट करने के लिए और अपना ड्यू डेलीजेन्स (Due Diligence) व नेकनियतीपूर्ण प्रयास स्पष्ट करने के लिए एवं अब्दुल लतीफ नगर पालिका खैराबाद तथा रियासत अली की जालसाजी को स्पष्ट करने के लिए इन दोनो ही अभिलेखो को माननीय न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता है और मा० अपील न्यायालय से न्याय, पाना चाहता है। रियासत अली की आपत्ति प्रस्तर 3 के कथन जिस प्रकार लिखे हैं, वे गलत है तथा अपीलकर्ता को स्वीकार नहीं है। अभिलेख आदेश 41 नियम 27 जा०दी० के अन्तर्गत स्वीकार करके माननीय अपील न्यायालय द्वारा कागज सं० 32 क के निर्णय के समय व अपील के निर्णय के समय दोनो ही समय जरूर देखे जाये और इन अभिलेखों के प्रकाश में माननीय अपील न्यायालय अपीलकर्ता की नेकनियती व ड्यू डेलीजेन्स को तय करे । अपीलकर्ता द्वारा अभिलेख दाखिल करने की जो अनुमति प्रार्थना पत्र दिनांक 25.02.2022 से चाही गई है वे अभिलेख अपीलकर्ता ने मा० अपील न्यायालय के सम्मुख वर्ष 2018 में ही प्रस्तुत कर दिये थे और उत्तरदाता ने अनावश्यक आपत्ति

करके माननीय न्यायालय से उक्त अभिलेखो को अपीलकर्ता को वापस किये जाने व आदेश 41 नियम 27 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाने का आदेश पारित कराकर न्यायालय से उक्त अभिलेख, अपीलकर्ता को वापस कराये, जिसके उपरान्त माननीय अपील न्यायालय के आदेश दिनांक 11.01.2022 जिसका संशोधन न्यायालय 22.02.2022 को किया गया, के सन्दर्भ में यह अभिलेख आदेश 41 नियम 27 के प्रार्थना पत्र के साथ पुनः न्यायालय के सम्मुख नेकनियती से प्रस्तुत किये गये हैं और अपीलकर्ता का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27, आदेश 41 नियम 27 में वर्णित शर्तों के अनुसार है। रियासत अली की आपत्ति के प्रस्तर 4 के कथन जिस प्रकार लिखे हैं, वे गलत है तथा अपीलकर्ता को स्वीकार नहीं है वास्तव मे अपीलकर्ता ने, सत्य तथ्यों पर नेकनियती से व मा0 अपील न्यायालय के आदेश 11.01.2022 यथासंशोधित 22.02.2022 के सन्दर्भ व परिपेक्ष्य में प्रस्तुत किये हैं और यह सभी अभिलेख, न्यायहित में अपील पत्रावली पर ग्रहण किये जाने का आदेश न्यायहित मे अवश्य ही पारित किया जाना चाहिए। आपत्तिकर्ता ने अपनी आपत्ति दिनांक 02.03.2022 के साथ जो शपथपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया है, वह उचित प्रकार से व विधि के अनुसार सत्यापित और रियासत अली का शपथपक्ष कानून की दृष्टि से कोई शपथपत्र है ही नहीं। वास्तव में रियासत अली ने अपनी आपत्ति में काफी कुछ ऐसे तथ्य वर्णित किये हैं जो वास्तव मे, असत्य है।

अपने मौखिक तर्क में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि जिन कागजातों को वह बतौर अतिरिक्त साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल करना चाहता है वह कागजात उन्हें सूचना के अधिकार के तहत अपील के लम्बन काल में ही प्राप्त हुआ था। वह कागजातों रेन्ट कंट्रोल वाद संख्या–03/2009 के समय उनका कोई अस्तित्व नहीं था। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में आगे अभिकथित किया गया कि उपरोक्त कागजातों के पत्रावली पर शामिल होने से वाद के निस्तारण मे आसानी होगी तथा न्यायालय से अनुरोध किया कि उपरोक्त कागजातों को बतौर अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में पढ़ने हेतु पत्रावली में शामिल किये जाने की कृपा करें।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह अभिकथित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा अपने सम्पूर्ण वाद में विपक्षी को बतौर मकान मालिक माना गया है तथा यह एक रेन्ट कंट्रोल की अपील है और इस तरीके की अपील में विपक्षी द्वारा लैण्डलॉर्ड के स्वामित्व को चैलेन्ज नहीं किया जा सकता। इस रेन्ट कंट्रोल का क्षेत्राधिकार भी मात्र किरायेदार के विवाद के निस्तारण का है और किसी भी तरीके का स्वामित्व का निर्धारण इस तरीके के वाद से नहीं हो रहा है। अपीलार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र के माध्यम से दिये गये अभिलेख वाद के निस्तारण में सहयोग नहीं है अपितु अपील को विलम्ब किये जाने की गर्ज से यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी का पूर्व में भी इस तरीके का प्रार्थनापत्र निरस्त किया जा चुका है तथा अपीलार्थी द्वारा दाखिल प्रार्थनापत्र रेस्ट जुडिकेटा के सिद्वान्त में भी बाधित है। इस परिस्थिति में विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को निरस्त करने की कृपा करे।

अपीलार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्न विधि व्यवस्थायें प्रस्तुत की गयी है:–

1– **C.K. Thakker, J. and Lokeshwar Singh Panta, J. AIR** 2007 **SUPREME COURT** 1546

2– **Guddu and others vs Commissioner, Lucknow Divison, Lucknow and others** [2016 (131) **RD** 55]

3– **State of U.P. and others vs Smt. Sharda Maheshwari** [2013 (119) **RD** 655]

4– **Shaukat vs State of U.P. and others** [2012 (90) **ALR** 67]

5– **Ashok Kumar Agarwal vs District Magistrate and others** [2010 (79) **ALR** 832]

6– **Smt. Nirmala Rani and others vs Ravi Kumar and another** [2019 (134) **ALR** 430]

7– **Mohd. Haleem and others vs Abdul Rasheed and another** [2017 (120) **ALR** 69]

8– **Smt. Sudesh vs Sheeshpal Singh and** 7 **others** [2019 (1) **ARC** 603]

9– **Gram Panchayat of Village Naulakha, Appellant v. Ujagar Singh and others AIR** 2000 **SUPREME COURT** 3272

विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्न विधि व्यवस्थायें प्रस्तुत की गयी है:–

1– **Ajay Mohan and others vs H.N. Rai and others** 2008 (1) **AWC** 68 (**SC**)

2– **Government of Karnataka and another vs K.C. Subramanya and others**

3– **P.B. Gajendragadkar, C. J., K. N. Wanchoo, M. Hidatatullah, Raghubar Dayal and J.R. Mudholkar, J.J AIR** 1965 **Supreme Court** 1008 (**V** 52 **C** 161) (**From** : **Bombay**) 1**st October**, 1964

4– **Tarun Chatterjee and Harjit Singh Bedll, JJ.** 2008 (3) **A.W.C** 2645 (**SC**),

5– **Ram Krishna Jaiswal and others vs District Judge, Allahabad and others** 1999 (1) **A.W.C** 851

6– **Tapeshwari Mal vs Rishikesh Varma** [2018 (131) **ALR** 517]

7– **Hon'ble R.K. Agrawal and Abhay Manohar Sapre, JJ.** [2018 (3) **ARC** 187]

8– **Phoola Devi and others v. Additional District Judge Court No–14, Kanpur Nagar and others** 2020 (6) **ALJ** 415

9– **Hon'ble R. Banumati, A.S. Bopanna and Hrishikesh roy, JJ.** [2020 (1) **ARC** 35]

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 124 क में न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि प्रार्थनापत्र के साथ अतिरिक्त साक्ष्य को आदेश 41 नियम 27 के तहत स्वीकार करने की कृपा की जाये। यहाँ पर समाचीन होता है कि सी०पी०सी० में वर्णित आदेश 41 नियम 27 को उद्धरित कर दिया जाये।

<u>आदेश 41 नियम 27 यह अभिकथित करता है कि–</u>

"(1)– अपील के पक्षकार अपील न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य चाहे वह मौखिक हो या दस्तावेजी, पेश करने के हकदार नहीं होगें किन्तु, यदि–

(क) उस न्यायालय ने जिसकी डिक्री की अपील की गयी है, ऐसा साक्ष्य ग्रहण करने से इंकार कर दिया है जो ग्रहण किया जाना चाहिये था, अथवा

(क 1) वह पक्षकार जो अतिरिक्त साक्ष्य पेश करना चाहता है यह सिद्ध कर देता है कि वह सम्यक तत्परता का प्रयोग करने के बावजूद ऐसे साक्ष्य की जानकारी नहीं रखता था या उसे उस समय पेश नहीं कर सकता था जब वह डिक्री पारित की गयी थी जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, अथवा

(ख) अपील न्यायालय किसी दस्तावेज के पेश किये जाने की या किसी साक्षी को परीक्षा की जाने की अपेक्षा या तो स्वयं निर्णय सुनाने में समर्थ होने के लिये या किसी अन्य सारवान् हेतु के लिये करें, तो अपील न्यायालय ऐसे साक्ष्य का लिया जाना या दस्तावेज का पेश किया जाना या साक्षी की परीक्षा का किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा।"

इस तरह अतिरिक्त साक्ष्य दाखिल किये जाने हेतु यह आवश्यक है कि साक्ष्य प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह सिद्ध करे कि वह अवर न्यायालय की पत्रावली के समय सम्यक तत्परता के बावजूद भी उक्त साक्ष्य की जानकारी नहीं रखता है या उस समय वह साक्ष्य दे नहीं पाया था जब उपरोक्त डिक्री पारित की गयी थी जिसके विरूद्ध अपील की गयी है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गयी वांछित सूचना दिनांक 06.10.2017 का प्रार्थनापत्र, कार्यालय नगर पालिका परिषद खैराबाद द्वारा दिनांक 03.10.32017 को दी गयी सूचना तथा दिनांक 16.02.2018 को मांगी गयी सूचना व कार्यालय जिला अधिकारी द्वारा निर्गत सूचना दिनांक 17.02.2018 के प्रपत्रों को बतौर अतिरिक्त साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल करना चाहता है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि यह सभी प्रपत्रों का अस्तित्व रेन्ट का वाद दाखिल करने के समय नहीं था तथा यह सभी प्रपत्र अपील के लम्बन काल में ही अस्तित्व में आये हैं। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी/वादी द्वारा पट्टे के सम्बन्ध में पूर्व में भी नगर पालिका परिषद खैराबाद से सूचना यह मांगी गयी थी और अवर न्यायालय में उन प्रपत्रों को बतौर साक्ष्य दाखिल किये गये हैं। अपीलार्थी द्वारा शुरू से ही पट्टे की प्रकृति के सम्बन्ध में सतर्कता प्रदर्शित की है और बार–बार प्राप्त जानकारी पत्रावली पर बतौर साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है। इस परिस्थिति में यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा पट्टे की प्रकृति को पत्रावली पर प्रदर्शित किये जाने हेतु सम्यक तत्परता प्रदर्शित की है और जिन प्रपत्रों को अपीलार्थी पत्रावली पर दाखिल करना चाहता है उनका अस्तित्व किरायेदारी की वाद संख्या– 03/2009 के समय में नहीं था। उपरोक्त दस्तावेजों का अस्तित्व अपील के लम्बन के दौरान ही आया था और इस परिस्थिति में विपक्षी का यह कहना कि अवर न्यायालय के समक्ष उन दस्तावेजों को दाखिल न करना अपीलार्थी के पक्ष पर सम्यक तत्परता न प्रदर्शित करना अपने में बल नहीं रखता।

विपक्षी का यह तर्क कि अपीलार्थी जिन साक्ष्यों को पत्रावली पर दाखिल करना चाहता है उनका वाद के गुण–दोष के निस्तारण में कोई अर्थ न रखता क्योंकि अपीलार्थी द्वारा पूर्व में कई बार विपक्षी को लैण्डलार्ड माना गया है और अब इस स्तर पर आकर अपीलार्थी विपक्षी के स्वामित्व को संदिग्ध नहीं मान सकता। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अतिरिक्त साक्ष्य का अपील के निस्तारण में क्या महत्व रखेगा यह सभी तथ्य गुण–दोष के आधार पर निस्तारित किये जाने योग्य है। उपरोक्त साक्ष्य का इस अपील पर क्या असर होगा यह सभी तथ्य बहस के उपरान्त ही निर्णय के स्तर पर देखे जाने योग्य हैं परन्तु यदि अपीलकर्ता को इस स्तर पर साक्ष्य देने से वंचित कर दिया जाये तो वह बहस के स्तर पर कुछ तथ्यों पर प्रकाश डालने से वंचित रह जायेगा जिससे वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी।

बचाव पक्ष का यह तर्क कि उपरोक्त प्रार्थनापत्र रेस्ट जुडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित है, अपने में बल नहीं रखता क्योंकि इस तरीके का कोई प्रार्थनापत्र पूर्व में गुण–दोष के आधार पर नहीं निस्तारित हुआ

है। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में एक प्रार्थनापत्र के साथ उपरोक्त दस्तावेज दाखिल किये जाने हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं जिन्हें न्यायालय द्वारा यह कहकर वापस कर दिया गया कि वह अतिरिक्त साक्ष्य की प्रकृति में आता है और उसका निस्तारण नियमानुसार तरीके से होना चाहिये था। उसके उपरान्त अपीलार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र आदेश 41 नियम 27 में यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर उन सभी कारणों का उल्लेख किया गया है कि किन परिस्थितियों में अपीलार्थी अतिरिक्त साक्ष्य दाखिल करना चाहता है। इस परिस्थिति में बचाव पक्ष का यह तर्क कि वादी का प्रार्थनापत्र रेस्ट जुडिकेटा से बाधित है, अपने में बल रखता है।

विपक्षी द्वारा प्रस्तुत **Ajay Mohan and others vs H.N. Rai and others** 2008 (1) **AWC** 68 (**SC**) में यह अभिकथित किया गया है कि रेस्ट जूडिकेटा का सिद्धान्त एक ही पत्रावली में विभिन्न स्तरों के निस्तारण में लागू होता है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि विपक्षी द्वारा प्रस्तुत नजीर के तथ्य व इस रेन्ट अपील के तथ्य मेल नहीं खाते। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत **Government of Karnataka and another vs K.C. Subramanya and others** जिसमें यह अभिकथित किया गया है कि अपीलीय स्तर पर अतिरिक्त साक्ष्य उन्हीं परिस्थितियों में ग्राह्य योग्य हैं जिसमें पक्ष द्वारा यह सिद्ध किया जाये कि वह उपरोक्त साक्ष्य को ड्यू डेल्जेस के उपरान्त भी अवर न्यायालय की पत्रावली पर दाखिल न कर सके। इस रेन्ट अपील में अपीलार्थी द्वारा जो कारण प्रदर्शित किये गये हैं वह सभी ड्यू डेल्जेस के दायरे में आते हैं तथा उपरोक्त नजीरों में उद्धरित रेशिओ इस रेन्ट अपील के तथ्य से मेल खाते हैं और यह अपीलार्थी का समर्थन करता है।

विपक्षी द्वारा **Jaswant Kaur and another vs Subhash Paliwal and others** 2010 (1) **AWC** 926 (**SC**) में अभिकथित तथ्य इस रेशिओ के तथ्य से मेल नहीं खाते।

विपक्षी द्वारा प्रस्तुत **P.B. Gajendragadkar, C. J., K. N. Wanchoo, M. Hidatatullah, Raghubar Dayal and J.R. Mudholkar, J.J AIR** 1965 **Supreme Court** 1008 (**V** 52 **C** 161) (**From** : **Bombay**) **1st October,** 1964 में यह रेशिओ प्रतिपादित किया गया है कि आदेश 41 नियम 27 के तहत अपीलीय न्यायालय के पास यह अधिकार नहीं है कि वह फ्रेश ट्रायल शुरू कर सके। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त सिद्धान्तों को पूर्ण सम्मान देते हुये यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी के अतिरिक्त साक्ष्य के प्रार्थनापत्र को स्वीकार किये जाने में किसी भी तरीके के पुनः विचारण शुरू नहीं हो पायेगा अपितु इस तरीके के साक्ष्य को पत्रावली पर ग्राह्य कर लेने से अपील के निस्तारण में सहयोग प्राप्त होगा।

विपक्षी द्वारा प्रस्तुत **Tarun Chatterjee and Harjit Singh Bedll, JJ.** 2008 (3) **A.W.C** 2645 (**SC**), **Ram Krishna Jaiswal and others vs District Judge, Allahabad and others** 1999 (1) **A.W.C** 851, **Tapeshwari Mal vs Rishikesh Varma** [2018 (131) **ALR** 517], **Hon'ble R.K. Agrawal and Abhay Manohar Sapre, JJ.** [2018 (3) **ARC** 187], **Phoola Devi and others v. Additional District Judge Court No–14, Kanpur Nagar and others** 2020 (6) **ALJ** 415, **Hon'ble R. Banumati, A.S. Bopanna and Hrishikesh roy, JJ.** [2020 (1) **ARC** 35] के तथ्य इस अपील के तथ्य से मेल नहीं खाते हैं।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत विधि व्यवस्थाओं के आलोक में यह स्पष्ट होता है कि यदि पक्षकार ड्यू डेल्जेस अपना प्रदर्शित कर सकें तो उस परिस्थिति में अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त परिस्थिति, तथ्य एवं पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत विधि व्यवस्थाओं के आलोक में यह स्पष्ट होता है कि जिन दस्तावेजों को अपीलार्थी बतौर साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है वह दस्तावेज अपील के लम्बन के समय ही अपने अस्तित्व में आये। अवर न्यायालय में लम्बित वाद संख्या–03/2009 के दौरान उपरोक्त प्रपत्रों का कोई अस्तित्व नहीं था। पत्रावली के सम्यक परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में सम्यक तत्परता दिखायी गयी है। उन दस्तावेजों का वाद के गुण–दोष पर क्या असर होगा यह तथ्य निर्णय के समय देखा जायेगा परन्तु यदि आज अपीलार्थी को उन साक्ष्यों को प्रस्तुत करने से रोक दिया जायेगा तो निश्चित तौर पर अपीलार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी और न्याय के हनन होने की सम्भावना है। रहा सवाल इस बात का कि उपरोक्त प्रार्थनापत्र विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है तो उस विलम्ब की प्रतिपूर्ति विपक्षी को हर्जे से की जा सकती है। इस परिस्थिति में प्रार्थनापत्र 124 क हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 124 क 400/–रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त दस्तावेजीय साक्ष्य को पत्रावली पर शामिल मिशिल किये जाते हैं। विपक्षी से रिविटल आहूत किया जाता है। पत्रावली वास्ते विपक्षी रिविटल हेतु **दिनांक 26.05.2022** को पेश हो।

दिनांक– 11.05.2022

(अभिषेक उपाध्याय)
JO CODE– UP1641
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–12,सीतापुर।

श्रेया/स्टेनो

Digitally signed by Abhishek Upadhyaya
Date: 2022.05.11 16:31:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court Sitapur